GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)
*****

No. 2002/TG-V/03/02 New Delhi, dated 02.12.2025

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways

Commercial Circular No. 23 of 2025

Sub: Extension of Magisterial Scheme for check and prevention of ticketless travel.

The Magisterial Scheme for checks and prevention of ticketless travel on Indian Railways was last extended upto 31.12.2025 vide Board's Commercial Circular No. 30/2023.

2. Sanction of Ministry of Railways is hereby accorded for extension of Magisterial Scheme till 31.12.2030, in accordance with extant terms and conditions and provisions stipulated in the Railways Act.

3. As far as ticket checking is concerned, it is purely an executive function for which programs of surprise checks should be drawn by Railway Administration only. The assistance of Railway Magistrate should be taken only for trial of the cases wherever deemed fit just like other cases under other sections of the Railways Act, 1989.

4. It is reiterated that the apportionment of cost of Railway Magistrate may be ensured as per Ministry of Home Affairs letter No.9/7/79-Judi Cell dated 14.07.1982 and circulated vide Board's letter No.78/Ticket Checking/1036/1 dated 20.08.82 (copies enclosed) which stipulate that the entire cost of Magistrates, their court staff and the police force attached to them should be borne by the State Governments and fines should be credited to them.

2/12/25

(Shivendra Shukla)
Executive Director (Passenger Marketing)
Ph. No.:011- 23047354
Email id: edpm@rb.railnet.gov.in
4th Floor, Room No: 472
Railway Board

Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001

2025 अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है	**GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)** **MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)** **RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)**	2025 International Year of Cooperatives Cooperatives Build a Better World

सं. 2002/टीजी-V/03/02 **नई दिल्ली, दिनांक 02.12.2025**

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

2025 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 23

विषय: बिना टिकट यात्रा की जांच और उसकी रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट संबंधी योजना को आगे बढ़ाना।

बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र सं. 30/2023 के तहत भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की जांच और उसकी रोकथाम के लिए मजिस्ट्रेट संबंधी योजना को आखिरी बार 31.12.2025 तक बढ़ाया गया था।

2. मौजूदा निबंधनों एवं शर्तों और रेल अधिनियम में अनुबंधित प्रावधानों के अनुसार रेल मंत्रालय द्वारा मजिस्ट्रेट संबंधी योजना को दिनांक 31.12.2030 तक बढ़ाने के लिए एतद् द्वारा स्वीकृति दी गई है।

3. जहां तक टिकट जांच का संबंध है, यह पूर्ण रूप से एक अधिशासी कार्य है, जिसके लिए औचक जांचों के कार्यक्रम केवल रेल प्रशासन द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। रेल अधिनियम, 1989 की अन्य धाराओं के अंतर्गत आने वाले अन्य मामलों की तरह, जहां कहीं उचित समझा जाए, रेल मजिस्ट्रेट की सहायता केवल मामलों की सुनवाई के लिए ही ली जानी चाहिए।

4. यह दोहराया जाता है कि रेल मजिस्ट्रेट की लागत का संविभाजन गृह मंत्रालय के दिनांक 14.07.1982 के पत्र सं. 9/7/79-जूडि सेल, और बोर्ड के दिनांक 20.08.82 के पत्र सं. 78/टिकट चेकिंग/1036/1 (प्रतिलिपियां संलग्न) के तहत परिपत्रित के अनुसार सुनिश्चित किया जाए, जिसमें यह अनुबंधित है कि मजिस्ट्रेट, उनकी अदालत के कर्मचारियों और उनके साथ तैनात पुलिस बल की समग्र लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और जुर्मानों से प्राप्त राशि को उनके खाते में जमा किया जाना चाहिए।

2/12/25

(शिवेन्द्र शुक्ला)
कार्यपालक निदेशक (यात्री विपणन)
दूरभाष सं. 011-23047354
ईमेल आईडी: edpm@rb.railnet.gov.in
चौथी मंजिल, कमरा नं. 472
रेलवे बोर्ड